List of scholarships being given in the university

S.NO.	Name of scholarship being given in the university
1.	Samaj Kalyan scholarship
2.	University Fellowship
3.	ICAR NTS Fellowship
4.	RGNF For Sc Student
5.	DST Inspire Fellowship
6.	Indo Afghanistan Fellowship
7.	ICAR JRF Fellowship
8.	ICAR SRF Fellowship
9.	Maullana Azad
10.	Indo African Fellowship
11.	PDF W/M
12.	National Scholarship for OBC
13.	Ministry of Tribal affair
14.	Single Child Fellowship
15.	National Fellowship of Defense

Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)

Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)

Scanned with OKEN Scanner

सूचना विवरणिका
INFORMATION BROCHURE

UPCATET 2023

आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
अयोध्या - 224229, (उत्तर प्रदेश)

उत्तर प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा - 2023

https://upcatetex...

Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)

e. Disability of hearing

f. Candidates with progressive diseases like myopathies etc.

g. Disabilities which otherwise would interfere in the performance of the duties of a veterinarian

The disability should be certified by a duly constituted and authorized Medical Board comprising of atleast three specialists out of which two should be of the specialty concerned and the candidate has to present him/herself before the Medical Board.

आरक्षित श्रेणी योग्य के सीटों के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियमों का पालन किया जायेगा

(i) आरक्षण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के नियम लागू होंगे।

(ii) उत्तर प्रदेश शासन के आदेशानुसार आरक्षण प्रतिशत एवं तत्सम्बन्धी नियमों में परिवर्तन का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है।

(iii) सभी पाठ्यक्रमों में लम्बवत आरक्षण (मुख्य श्रेणी) एवं क्षैतिज आरक्षण FF, PWD, DP एवं UE (उप श्रेणी) प्रदान किया जायेगा।

(iv) परीक्षा परिणाम घोषित हो जाने के पश्चात किसी भी अभ्यर्थी की श्रेणी में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(v) विभिन्न आरक्षित श्रेणी की सीटों के सापेक्ष आवेदन करने वाले जितने अभ्यर्थी सामान्य (अनारक्षित) सीटों के अभ्यर्थियों के समकक्ष मेरिट में स्थान प्राप्त कर लेते हैं उन सभी को सामान्य (अनारक्षित) सीटों के सापेक्ष समायोजित माना जायेगा भले ही उनके द्वारा आयु सीमा आदि में छूट का लाभ लिया गया हो।

(vi) काउन्सिलिंग तथा प्रवेश के समय आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश शासन के नवीनतम शासनादेश के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(vii) अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के जाति प्रमाण पत्र शासनादेश के अनुरूप निर्धारित नवीनतम प्रारूप पर प्रमाण पत्र–2 (Pg. No. 65) पर है। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के अभ्यर्थियों को क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और यदि ऐसे अभ्यर्थी जो वित्तीय वर्ष 2022–23 अथवा **नवीनतम** वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उन्हें सामान्य श्रेणी का अभ्यर्थी माना जायेगा।

(viii) अनुसूचित जाति SC तथा अनुसूचित जनजाति ST के जाति प्रमाण पत्र का निर्धारित प्रारूप प्रमाण पत्र–3 (Pg. No. 66) पर है।

(ix) सैन्य कर्मचारी DP (युद्ध में अपंग / सेवानिवृत्त / शहीद) के पुत्र / पुत्रियों को अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप के प्रमाण पत्र–4 (Pg. No. 66) पर ही प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(x) दिव्यांगजन(PWD) का प्रमाण पत्र–5 (Pg. No. 67) पर है।

(xi) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी FF के आश्रितों के द्वारा अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप के प्रमाण पत्र–6 (Pg. No. 67) पर ही प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)

Scanned with OKEN Scanner

सेवारत अभ्यर्थियों के लिये

1 पी-एच0डी0 पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश के चारो कृषि विश्वविद्यालय क्रमशः चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ एवं बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय बांदा मे नियमित रूप से कार्यरत कर्मचारी अर्ह होंगे।

2 पी-एच0डी0 पाठ्यक्रम मे प्रवेश हेतु सेवारत अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश परीक्षा मे सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।

3 पी-एच0डी0 पाठ्यक्रम हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता पृष्ठ संख्या 18 से 21 के अनुसार मान्य होगी।

4 सेवारत अभ्यर्थियों को संयुक्त मेरिट एवं अभ्यर्थी के प्राथमिकता के आधार पर सीट आवंटित की जायेगी।

5 सेवारत अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त सीट आरक्षित नही होगी। अन्य अभ्यर्थियों की भांति आरक्षण तथा अर्हता मान्य होगी।

6 सेवारत अभ्यर्थियों को अध्ययन अवकाश सबंधित विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत होना अनिवार्य होगा। आवंटित विश्वविद्यालय मे प्रवेश/रिपोर्टिंग के समय अध्ययन अवकाश स्वीकृत संबधी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा अन्यथा प्रवेश निरस्त माना जायेगा।

7 सेवारत अभ्यर्थी विश्वविद्यालय द्वारा तथा अन्य संस्था द्वारा स्कालरशिप/फेलोशिप नही ले सकेगा।

आरक्षण (Reservation)

पाठ्यक्रम की कुल सीटों पर निम्नवत् आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

क.स.	लम्बवत् आरक्षण (मुख्य श्रेणी)		क्र.सं.	क्षैतिज आरक्षण (उप श्रेणी) प्रत्येक मुख्य श्रेणी में निम्नलिखित उप श्रेणी का निम्नवत आरक्षण देय होगा	
1	अनुसूचित जाति (SC)	21%	1.	स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के वंशज (FF)	2%
2	अनुसूचित जनजाति(ST)	2%	2.	दिव्यांगजन(PWD)*	5%
3	अन्य पिछड़ा वर्ग(OBC)	27%	3.	सेना कर्मचारी के पुत्र/पुत्री (DP)	1%
4.	अनारक्षित(UR)	40%	4	कानपुर, मेरठ, [illegible] एवं बांदा [illegible] विश्वविद्यालयों के नियमित [illegible] पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी [illegible] (UE) [illegible]	10%
				[illegible]	2.5%
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	10%			

नोट: यूपीकैटेट-2023 प्रवेश परीक्षा हेतु आरक्षण राज्य सरकार के प्रभावी नियमो के अनुसार दिया जायेगा।

* Admission shall not be allowed if a candidate suffers disabilities in physical fitness as listed below

a) Disability of total body including disability of chest/spine more than 50%

b) Disability of lower limb of more than 50%,

c) Disability of upper limb,

d) Visually handicapped candidates

Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)

Scanned with OKEN Scanner